

contractors is necessary as per the provisions of the said Act and which are the centres of the Food Corporation of India where this Act is enforced?]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने अपने जोनल प्रबन्धकों और क्षेत्रीय प्रबन्धकों को अधिनियम के उपबन्धों का सख्ती से पालन करने के लिए अनुदेश जारी किये हैं। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम का पंजीकरण करना तथा निगम के ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय खाद्य निगम के ठेकेदारों द्वारा मजदूर लगाने से सम्बन्धित अधिनियम हेतु प्रवर्तन प्राधिकारी वह प्राधिकारी होता है जिसे राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Food Corporation of India have issued instructions to their Zonal Managers and Regional Managers for strict compliance with the provisions of the Act. Registration of the F.C.I. and obtaining licence by the Corporation's contractors are necessary as per the provisions of the Act. The enforcing authority for the Act in relation to the labour engaged by the contractors of the Food Corporation of India is the authority appointed by the State Governments.]

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

336. श्री रामानन्द यादव :  
श्रीमती अमरजीत कौर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली समाप्त करने की सिफारिश श्रम मंत्रालय को की थी; और

(ख) क्या सरकार सलाहकार समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए खाद्य निगम को निदेश देने का विचार रखती है ?

†[Contract system in F.C.I.

336. SHRI RAMANAND YADAV:  
SHRIMATI AMARJIT KAUR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Advisory Committee on Food had recommended to the Labour Ministry to abolish contract system in the Food Corporation of India; and

(b) whether in view of the recommendation of Advisory Committee Government propose to direct the Food Corporation to abolish contract system?]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.]

कृषि मूल्य आयोग में प्रतिनिधि

337. श्री रामानन्द यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसमें किसानों, उपभोक्ताओं और मजदूरों के प्रतिनिधि कौन कौन हैं ;